सत्यनारायण बनाम रमेशचन्द वगैरह (2023/354)

दिनांकः— 22.12.2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ स्थगन प्रार्थना पत्र की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 12.12.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। प्रार्थी को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बेदखली की कार्यवाही द्वेशतावश की जा रही है जिस बाबत् राजस्व वाद अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रस्तुती की दिनांक को ही अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त/संशोधित किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम नहीं किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड़ में अपीलांट को उनकी खातेदारी की आराजीयात पर किए गए निर्माण से बेदखल कर सुरक्षा हेतु निर्मित दीवार को ध्वस्त कर दिया जावेगा, जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2023 उनवानी सत्यनारायण बनाम रमेशचन्द में पारित आदेश दिनांक 24..11.2023 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम रखे जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने के आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिन्दु के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2023 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 12.12.2023 को प्रस्तुत की गई, अपील अंदर मियाद है।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया की हमारे पक्षकार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया है। भूमि हमारे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा 212 आर0टी0एक्ट0 का प्रार्थना पत्र भी लगाया गया है। विवादित भूमि में हमारा 2/3 एवं रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम सुनवाई दिनांक 06.07.2023 को हमारे पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। दिनांक 29.09.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। दिनांक 24.11.2023 को बिना हमारी उपस्थिति में सिर्फ रेस्पोडेन्ट अभिभाषक को सुना जाकर हमारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जमीन उनके द्वारा विक्रय कर दी गई है रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी सेक्शन का उल्लेख नहीं किया है। यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम राजपुरा संवत 2075 खाता संख्या नया 18 तहसील सावर का अवलोकन किया गया। विवादित खसरा नम्बर 212 और 260 है कुल रकबा 1.8200 हैक्टर है तथा वर्तमान अपीलांट का हिस्सा 2/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार उसने यह बताया कि दिनांक 06.06.2023 को उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि को विक्रय कर दिया गया है तथा कब्जा केता को संभाल दिया है तथा केता ही उक्त आराजीयात को काश्त कर रहा है। वर्तमान अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत करना पाया जाता है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा इसके पूर्व ही दिनांक 06.06.2023 को भूमि विक्रय कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को यह चाहिए था कि रेस्पोडेन्ट संख्या

22.12.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी

के द्वारा जिस व्यक्ति को भूमि बेचान की गई है उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में वाद पत्र की कार्यवाही के दौरान जानकारी प्राप्त हो जाने पर जोडा जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण पक्षकारो के असंयोजन से प्रभावित है। इस समय न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रकरण में कोई प्रभावी रेस्पोडेन्ट नहीं है जिसके विरूद्ध कोई निर्णय न्यायालय दे सके। इस स्टेज पर न्यायालय स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय करना उचित नहीं समझता है। अपीलांट अभिभाषक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर विवादित भूमियों में 1/3 हिस्से के नवीन क्रेता को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करने की कार्यवाहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दो माह में पक्षकार संयोजन के बाद बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर गुणावगुण पर समुचित निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

22.12.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner